भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1603
बुधवार, 15 मार्च, 2023 (24 फाल्गुन, 1944 (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का स्वचालन

1603. श्री पी. विल्सनः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को स्वचालित करने में सक्षम रहा है और क्या सभी में एक समान सॉफ्टवेयर लगाया गया है;
(ख) क्या मंत्रालय ने ऋण अनुदान में विविधता लाने और संवितरित ऋण की चुकौती पर संतुलन बनाए रखने के लिए कोई नीति तैयार की है;
(ग) क्या मंत्रालय ने कृषि ऋणों की माफी को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(घ) क्या मंत्रालय 29 जून, 2022 को की गई घोषणा के अनुसार, पीएसी द्वारा उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान जैसी संबद्ध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम रहा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा दिनांक 29 जून, 2022 को 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS)/लार्ज एरिया मल्टी-पर्पज़ समितियां (LAMPS)/फार्मर्स सर्विस समितियां (FSS) के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना का अनुमोदन किया गया है जो कार्यान्वयनाधीन है।

वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 54,752 PACS/LAMPS/FSS को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 201.18 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी की राशि हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए जारी किया गया है । नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों (PMUs) की स्थापना की जा चुकी हैं । नाबार्ड द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तर के परियोजना सॉफ्टवेयर वेंडर (NLPSV) द्वारा सॉफ्टवेयर विकास का कार्य आरंभ हो गया है ।

इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में साथ लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ा जाएगा जिससे संवितरित ऋणों के भुगतान पर नियंत्रण और संतुलन बनाने में मदद मिलेगी ।

सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ हुए परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार की है जो उन्हें बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनने के लिए उनके कार्यों में विविधता लाएंगी । इन आदर्श उपविधियों को दिनांक 05.01.2023 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया गया ताकि संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अध्यधीन पैक्स उन्हें अपना सकें । इन आदर्श उपविधियों द्वारा पैक्स 25 से भी अधिक कार्यकलाप, जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कॉमन सेवा केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, आदि कर सकेंगे । कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पैक्स द्वारा उर्वरक, बीज, इत्यादि निविष्टियां प्रदान करने के कार्य सहित आदर्श उपविधियों में उल्लिखित सभी कार्यों के अनुकूल होगी ।

तथापि, कृषि ऋणों की माफी सहकारिता मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है ।

****